

विस्तृत आवेदन प्रपत्र
Detailed Application Form

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2009
Engineering Services Examination, 2009

महत्वपूर्ण
Important

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 जनवरी, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा की नियमावली (प्रति संलग्न) जिसमें पात्रता की शर्तों आदि का उल्लेख है, को सावधानी से पढ़ लें।
1. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 10th January, 2009 (Copy enclosed).
2. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन प्रपत्र के सभी कॉलम अपने हाथ से स्याही से या बॉल प्वाइंट पेन से ठीक प्रकार से भर दिए गए हैं। आवेदन-प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन संबंधी उम्मीदवारों के पत्राचार पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
2. Candidates should ensure that all columns of the Application Form are filled in correctly in their own hand in ink or with Ball Point Pen. No correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form.
3. शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति इत्यादि से सम्बन्धित सभी संगत संलग्नक प्रपत्र के साथ लगा दिए जायें।
3. All relevant enclosures relating to educational qualifications, age, community etc. should be enclosed with the Form.
4. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र अग्रसारण पत्र में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख तक या उससे पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को पहुंच जाना चाहिए।
आवेदन प्रपत्र के लिफाफे पर "इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2009 के लिए आवेदन प्रपत्र" लिखें। आवेदन प्रपत्र संघ लोक सेवा आयोग के काउण्टर पर दस्ती रूप से भी जमा किया जा सकता है। आयोग के किसी अन्य पदाधिकारी को जमा कराने के लिए दिए गए आवेदन प्रपत्रों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
4. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069 on or before the date specified in the forwarding letter.
The envelope containing the application form should be superscribed "Detailed Application Form Engineering Services Examination, 2009." Application can also be delivered at the Union Public Service Commission counter by hand. The Commission will not be responsible for the application forms delivered to any other functionary of the Commission.
5. उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में गेट 'सी' के निकट सुविधा काउण्टर पर स्वयं आकर या दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर कार्य-दिवसों में प्रातः 10.00 बजे और सायं 17.00 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने साक्षात्कार कार्यक्रम, परिणाम आदि के विषय में आयोग के वेबसाइट (Website) <http://www.upsc.gov.in> से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5. In case of any guidance/information/clarification regarding their applications, candidature etc. candidates can contact UPSC's Facilitation Counter near Gate 'C' of its campus in person or over Telephone No. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 on working days between 10.00 hrs. and 17.00 hrs. CANDIDATES CAN ALSO OBTAIN INFORMATION ABOUT THEIR APPLICATION, INTERVIEW PROGRAMME, AND RESULTS ETC. ON THE COMMISSION'S WEBSITE AT THE ADDRESS:— <http://www.upsc.gov.in>
6. संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवनों के परिसर में मोबाईल फोन लाने पर प्रतिबन्ध है।
6. The mobile phones are banned in the Campus of UPSC Examination Halls.

संघ लोक सेवा आयोग

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2009

उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले इन अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

2. उम्मीदवार यह अवश्य ध्यान रखें कि उन्हें आवेदन-प्रपत्र को भरने में केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग करना है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। वे इस बारे में विशेष सावधानी बरतें कि आवेदन-प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों। यदि वे प्रविष्टियां पढ़ी नहीं जा सकती हैं या भ्रामक हैं तो उनके निर्वचन में होने वाली भ्रांति या संदिग्धता के लिए उम्मीदवार ही जिम्मेदार होंगे। संशोधन, यदि कोई हो, स्पष्ट होने चाहिए तथा उम्मीदवार द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिए।

3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन-प्रपत्र के कालम 11 में उन सेवाओं/पदों को स्पष्ट रूप से लिख दें जिनके लिए वे वरीयताक्रम में विचारण चाहते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी चाहें उतनी वरीयताओं का उल्लेख कर दें ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

विशेष ध्यान 1 :—वे विभागीय उम्मीदवार, जिन्हें आयु सीमा में छूट के अधीन [देखिए नियम 5 (ख)] परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं।

विशेष ध्यान 2 :—नियम 6 के उपबंध के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबंध में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हो पर विचार किया नहीं जाएगा।

विशेष ध्यान 3 :—किसी भी उम्मीदवार का अपने विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. उम्मीदवार द्वारा इस आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना की पड़ताल इस परीक्षा के सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचनाओं से की जायेगी। गंभीर विसंगतियां पाई जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5. उम्मीदवार आवेदन-प्रपत्र में दिए गए स्थान पर ठीक प्रकार से अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार का एक फोटो चिपकाएं। फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा उस महाविद्यालय/संस्थान जहां उम्मीदवार सबसे बाद में अध्ययनरत रहा हो के प्राचार्य, द्वारा विधिवत् सत्यापित हो।

6. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करते हैं तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हैं, जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या परिशिष्ट-I में दर्शाए गए ऐसे अन्य अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पद नामित किया हो परिशिष्ट-I में

दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र लेकर उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।

7. उम्मीदवार को इस प्रपत्र के साथ एक ऐसे प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिए जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि "रोजगार समाचार" दिनांक 10 जनवरी, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा के नोटिस के पैरा 4(3) में और भारत के राजपत्र दिनांक 10 जनवरी, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा की नियमावली के नियम 6 में प्रकाशित निर्धारित शैक्षिक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण-पत्र उस अधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य किसी परीक्षा निकाय) का होना चाहिए जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की है।

8. उम्मीदवार को आयु प्रमाण-पत्र की जिसमें जन्म की तारीख बताई गई हो, अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति अपने आवेदन के साथ भेजनी चाहिए। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से तथा सेवा अभिलेख से जन्म संबंधी उद्धरण तथा ऐसे ही अन्य प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या/और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथानिर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

Union Public Service Commission
ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 2009

Instructions to Candidates for filling in the
Application Form

1. The candidates should read these instructions carefully before filling in the application form.

2. Candidates must use only International form of Indian numerals in filling in the application form, e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the confusion and the ambiguity caused in interpreting such entries. Corrections, if any, should be legible and attested by the candidates.

3. Candidates are required to specify clearly in Column 11 of the application form the Services/Posts for which they wish to be considered in order of preference. They are advised to indicate as many preferences as they wish to, so that having regard to the rank in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

N.B. (i)—Departmental candidates admitted to the examination under age relaxation vide Rule 5(b) may give their preferences for the Services/Posts in other Ministries/Departments also.

N.B. (ii)—Candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts mentioned in the said proviso, and their preference for other Services and Posts, if any, will be ignored.

N.B. (iii)—No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission.

4. The information earlier given by the candidates in the simplified application form for the Examination will be cross-checked with the information given by them in this application form. If there are any serious discrepancies, their candidature will be cancelled.

5. The candidates should paste a recent passport size photograph in the space provided for it in the application form. The photograph should be duly attested by a Gazetted Officer/Principal of the College/Institution last attended.

6. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should submit in support of his claim an attested/certified copy of the certificate in the form given in Appendix-I from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated in Appendix-I of

the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

7. A candidate must submit alongwith this form an attested/certified copy of a certificate showing his/her educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice for the Examination published in the *Employment News* dated 10th January, 2009 and in Rule 6 of the Rules for the Examination published in the *Gazette of India* dated 10th January, 2009. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.

8. A candidate must enclose with his/her application an attested/certified copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate an attested/certified copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

Note 1 : A candidate who holds a completed Secondary School Certificate need submit an attested/certified copy of the page containing entries relating to age only.

टिप्पणी 2— उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 3— उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. (1) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यतः रहा है या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान वह सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ही रहा है।

(2) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, पुनः स्थापना, रक्षा मंत्रालय से परिशिष्ट-II में दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर इसकी एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी कि वह रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

(3) आयु में छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक, कमीशंड अधिकारी और ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि, संबद्ध प्राधिकारियों से लेकर परिशिष्ट-III में दिए गए फार्म में प्रस्तुत करें।

(4) नियम 5 (ख) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिए दावा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष से परिशिष्ट-IV में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

10. जो उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम होने का दावा करता है, उसे संबंधित सेवा/पदों पर कार्य निष्पादन हेतु, एक या अधिक शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं जैसा कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2009 की नियमावली के नियम 19 में दिया गया है को पूरा करना होगा। उसे सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड के द्वारा परिशिष्ट-V में दिए गए प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

11. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2009 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनन्तिम है तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण

के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

12. उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ निम्नलिखित प्रलेख अनुलग्न कर आयोग को भेजने हैं :-

- (1) आयु के प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (2) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों के होने का दावा करने के समर्थन में प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (जहां कहीं लागू हो)।
- (4) आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (जहां कहीं लागू हो)।
- (5) शारीरिक अक्षमता के डाक्टरी प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (जहां लागू हो)।
- (6) लगभग 11.5 से. मी. × 27.5 से. मी. आकार के बिना टिकट लगे दो लिफाफे जिन पर पता लिखा हो। उम्मीदवार को लिफाफों पर अपना डाक का पूरा पता अर्थात् उम्मीदवार का नाम, मकान नम्बर, वार्ड नम्बर, मोहल्ला आदि स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां मकान नम्बर न हो, उम्मीदवार को अपना नाम लिखने के बाद अपने पिता का नाम तथा डाक पता भी लिफाफों पर लिखना चाहिए।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

टिप्पणी :- उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपियों पर अपने हस्ताक्षर करें तथा तारीख भी लिखें।

13. जिन मामलों में आवेदन-पत्र सब अनुलग्नकों रहित या कुछ अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे उनमें उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र ठीक से भरा गया है और उसके साथ सभी संगत अनुलग्नक भेजे गए हैं। आवेदन प्रपत्र का कोई भी कालम रिक्त न छोड़ा जाए।

14. उम्मीदवार अपने आवेदन के संबंध में आयोग को जो पत्र भेजें उनमें परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।

15. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन-प्रपत्र के विभिन्न कालमों में भरे जाने वाली कोड संख्याएं मार्गदर्शन संकेत (अनुबंध) में दी गई हैं। जहां कहीं भी सूचना कोड संख्या में अपेक्षित है वहां वे उचित कोड संख्या का उल्लेख करें। ऐसे कालमों में कोड संख्या के अलावा दी गई अन्यथा सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

Note 2 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 3 : Candidates should also note that once date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

9 (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should produce an attested/certified copy of the certificate in the form given in **Appendix -II**, from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he/she was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

(iii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should produce an attested/certified copy of the certificate as applicable to them, in the form given in **Appendix-III**, from the authorities concerned.

(iv) A Government Servant claiming age concession under rule 5(b) should submit a certificate in Original from the Head of the Department/Office in the format given in **Appendix-IV**.

10. A candidate claiming to belong to physically disabled category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule 19 of the Rules for the Engineering Services Examination, 2009, for performing the duties in the concerned Services/Posts. He/She must submit a certified copy of the certificate issued by Government Hospital/Medical Board in the format given in.

Appendix-V.

11. The candidates should note that their candidature for the Engineering Services Examination, 2009, will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfil any of the

eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

12. Enclosures to the application form to be sent to the Commission by the candidates are as follows :—

- (i) An attested/certified copy of the certificate of age.
- (ii) An attested/certified copy of the certificate of educational qualification indicating the subjects.
- (iii) An attested/certified copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes (wherever applicable).
- (iv) An attested/certified copy of certificate in support of claim for age concession (wherever applicable).
- (v) An Attested/certified copy of certificate in support of claim to being physically handicapped (wherever applicable).
- (vi) Two self addressed and unstamped envelopes of 11.5 × 27.5 cms. size. Candidates should write neatly his/her complete postal address i.e. his/her Name, House No., Ward No., Mohalla etc. on the envelopes. In case where House No., is not there, the candidate should write his/her own full name, followed by his/her father's name with postal address on the envelopes.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview.

NOTE :—Candidates are required to sign the attested/certified copies of all certificates sent along with the application form and also to put the date.

13. Any application received without all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the application form is properly filled in and is accompanied by all the relevant enclosures. No column of application should be left blank.

14. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of Examination, his full name, Roll Number and date of birth.

15. Code Numbers to be filled in by the candidates in various columns of the application form are given in the Guidelines for filling up the Application Form which is Annexure showing. Wherever information is required to be given in Code Nos., appropriate Code Nos. may be filled in. Information given in such columns otherwise than in codes, will not be taken into consideration.

परिशिष्ट-I

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....सुपुत्र/सुपुत्री*
श्री.....जो गांव/कस्बा*

जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र*के/की* निवासी है

.....जाति/जनजाति* के/की* है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950@

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश,

1951@.

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956@

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित @

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@.

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962@.

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964@

संविधान (उत्तर प्रदेश) (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश,

1968@:

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश,

1968@:

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश,

1989@:

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम,

1990@:

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम,

1991@:

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (द्वितीय संशोधन)

अधिनियम, 1991@

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @

संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रव्रजन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*.....

ग्राम/कस्बा* जिला/मंडल*

..... राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र*..... जो

जाति/जनजाति* से सम्बद्ध है जिसे

..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता श्री/श्रीमती*

..... को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर

जारी किया जाता है।

दिनांक..... के द्वारा जारी।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....

और/या* उनका परिवार आम तौर पर/से गांव/कस्बा*

..... जिला/मंडल*..... राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र*..... में रहते/रहती हैं।

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मोहर सहित)

राज्य*/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान*

तारीख

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें।

% जो पैरा लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी— यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो

रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों

का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की

सूची।

(1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/

डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/

प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/†सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/

तालुका मजिस्ट्रेट/ एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ एक्स्ट्रा असिस्टेंट

कमिश्नर।

†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो)

- (2) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
 (3) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
 (4) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....

सुपुत्र/सुपुत्री* श्री जो
 जिला/मंडल*..... के
 गांव/कस्बा*..... राज्य/संघ राज्य
 क्षेत्र*..... के/की* निवासी हैं
 के समुदाय के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन
 पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता मिली है :—

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं० 12011/68/93-बी० सी० सी० (सी)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 का संकल्प सं० 12011/9/94-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं० 12011/7/95-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 के संकल्प सं० 12011/96/94-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 के संकल्प सं० 12011/44/96-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के संकल्प सं० 12011/99/94-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 के संकल्प सं० 12011/13/97-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 संख्या 241 में दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं० 12011/68/98-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 संख्या 270 में दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 के संकल्प सं० 12011/88/98-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं० 12011/36/99-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं० 12011/44/99-बी० सी० सी०।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं० 12015/9/2000-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं० 12011/1/2001-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी 2004 का संकल्प सं० 12011/4/2002-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी 2006 का संकल्प सं० 12011/9/2004-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं० 12011/14/2004-बी० सी० सी०।

श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या* उनका परिवार सामान्यतया जिला/मण्डल*..... के गांव/कस्बा*..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 8-9-1993 के कां०ज्ञा० सं० 36012/22/93 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 9-3-2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था० (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था० (आरक्षण) दिनांक 14-10-2008 (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) सम्बन्धित नहीं है।

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मोहर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान :

दिनांक :

*जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

@जो लागू न हों उन्हें काट दें।

टिप्पणी :—यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपल एक्ट 1950 की धारा 20 में है।
 ** अन्य पिछड़े वर्ग (ओ०बी०सी०) का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ०जा/अ०ज०जा० के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.

(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
son/daughter* of Shri..... of
 village/town*in District/Division* of
 the State/Union Territory*belongs to the
Community which is recognised as a backward
 class under :

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 186 dated 13th September, 1993.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 163 dated 20-10-1994.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated 25-5-1995.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11th December, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 236 dated 12th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 239 dated 17th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated 6th December, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated 4th April, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated 6th September, 2001.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section, 1 No. 151 dated 20th June, 2003.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-1, No. 9 dated 13th January, 2004.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 67 dated 12th March, 2007.

Shri/Shrimati/Kumari*and/or*
 his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*
 of District/Division* of the State/ Union
 Territory* of

This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-1993 O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008..

Signature.....

**Designation.....

(with seal of Office)
 State/Union Territory

Place.....

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

@ Strike out whichever is not applicable.

NOTE : The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificates will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

टिप्पणी 1 :—अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार

पर किया जाएगा जिससे उसके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं। अतः वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से अन्य राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिसमें वह (पिता) मूलतः सम्बद्ध है से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

टिप्पणी 3 :—आयोग सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा पहले ही इस परीक्षा के अपने सरलीकृत आवेदन पत्र में दर्शायी जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

Note 1 : Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 2 : The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her

father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his/her father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

Note 3 : No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission.

परिशिष्ट-II

रक्षा सेवा के दौरान विकलांग हुए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म :—

प्रमाणित किया जाता है कि सं०..... रैंक

नाम

यूनिट के रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष
में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें.

APPENDIX-II

THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATE DISABLED WHILE IN THE DEFENCE SERVICES :—

Certified that No. Rank

Name

of Unit was disabled while in the Defence Service in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation.....

Date.....

*Strike out whichever is not applicable.

परिशिष्ट-III

(क) निर्मुक्त/सेवा निवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक
नाम
जिनकी जन्म तिथि है से
तक सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करें :—

(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की हो और सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर रिहा हुए हों अन्यथा कदाचार या कार्य अकुशलता के कारण बर्खास्त न हुए हों।

(ख) वे सैन्य सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारण को कार्यमुक्त हुए।

स्थान :

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मोहर

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं० रैंक नाम
..... दिनांक से सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवारत हैं और वे दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।

स्थान :

दिनांक :

कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर

उक्त "ख" प्रमाण-पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचन देना होगा :—

उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचन

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन पत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और यह कि समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय

सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

स्थान :

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(ग) ई. सी. ओ./एस. एस. सी. ओ. जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारम्भिक नियमित अवधि पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर है के लिए प्रमाण पत्र का फार्म।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं०
रैंक नाम
जिनकी जन्म तिथि है से
सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा कर रहे हैं।

2. उन्होंने पहले ही आरम्भिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर ली है और अब वे तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. उन्हें सिविल रोजगार में आवेदन-पत्र देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें सिविल रोजगार मिलने पर तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
मोहर

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकारी जो प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम है निम्न प्रकार है :—

(क) ई०सी०ओ०/एस०एस०सी०ओ० सहित कमीशंड अधिकारियों के मामले में :—

थल सेना—मिलिटरी सचिव की शाखा, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौ सेना—कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना—कार्मिक सेवा निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे०सी०ओ०/ओ०आर० तथा नौ सेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :—

सना—विभिन्न रेजीमेन्टल अभिलेख कार्यालयों द्वारा।

नौ सेना—बी०ए०बी०एस०, मुम्बई।

वायु सेना—वायु सेना अभिलेख एन०ई०आर० डब्ल्यू०, नई दिल्ली।

APPENDIX-III

(A) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR RELEASED/RETIRED PERSONNEL

It is certified that No. Rank
Name whose date of birth is
has rendered service from to in Army/
Navy/Air Force and he fulfils the following conditions :—

- (a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
- (b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on

Station :

Date :

Signature and Designation of the
Competent Authority
SEAL

(B) FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL

(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year).

I hereby certify that according to the information available with me No. Rank
Name is serving in the Army/Navy/
Air Force from and is due to complete
the specified term of his engagement with the Armed Forces
on the date

Place :

Date :

Signature of Commanding Officer
Office Seal

Candidate furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking :—

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE:

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed

Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Signature of Candidate

Place :

Date :

(C) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR SERVING ECOs/SSCOs WHO HAVE ALREADY COMPLETED THEIR INITIAL ASSIGNMENT AND ARE ON EXTENDED ASSIGNMENT.

It is certified that No. Rank
Name whose date of birth is
is serving in the Army/Navy/Air Force from

2. He has already completed his initial assignment of five years on and is on extended assignment till

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Station :

Date :

Name and Designation of the
Competent Authority
SEAL

Authorities who are competent to issue certificate are as follows :—

- (a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.
 - Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi.
 - Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.
 - Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.
- (b) In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.
 - Army—By various Regional Record Offices.
 - Navy—BABS, Mumbai.
 - Air Force—Air Force Records NERW New Delhi.

परिशिष्ट-IV

नियम 5 (ख) के तहत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

*(क) श्री/श्रीमती/कुमारी दिनांक से कार्यालय/विभाग में
..... के स्थायी पद पर (मूल रूप से) कार्यरत हैं।

*(ख) श्री/श्रीमती/कुमारी दिनांक से कार्यालय/विभाग में
..... के पद पर केन्द्रीय सरकार के अधीन नियमित आधार पर अस्थायी सेवा में लगातार कार्य कर रही/रहे हैं।

(ग) यह विभाग/कार्यालय निम्नलिखित प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन है, जो इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2009 की नियमावली के नियम 5 (ख) के नीचे कालम 1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी में से एक है।

२

(कृपया यहां सम्बद्ध प्राधिकारी का नाम लिखें)

हस्ताक्षर

पदनाम

मंत्रालय/कार्यालय

स्थान :

कार्यालय की मोहर

दिनांक:

*जो लागू न हो उसे काट दें।

APPENDIX-IV

**THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY GOVERNMENT SERVANTS CLAIMING AGE
CONCESSION UNDER RULE 5(b)**

Certified that:

- **(a) Shri/Shrimati/Kum. holds substantively a permanent post of
in the Office/Department of with effect from*
- **(b) Shri/Smt./Kum. has been continuously in temporary service on a regular basis under the
Central Government in the post of in the with effect
from*
- (c) This Deptt./Office is under the control of the following authority, which is one of the authorities specified in
Column I below Rule 5 (b) of the Rules of the Engineering Services Examination, 2009.*

(Please indicate here the name of the concerned authority)

Signature.....

Designation.....

Ministry/Office.....

Office Stamp

Place.....

Date :

परिशिष्ट-V

संस्थान/अस्पताल का नाम व पता

प्रमाणपत्र सं. दिनांक

अक्षमता प्रमाणपत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित अक्षमता दर्शाने वाला उम्मीदवार का हाल का फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु० पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु लिंग पहचान चिन्ह (चिन्हों) निम्नलिखित श्रेणी की अक्षमता स्थायी रूप से है।

क. चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात

- (i) बी एल (BL)—दोनों पैर खराब/प्रभावित परन्तु भुजाएं नहीं।
(ii) बी ए (BA)—दोनों भुजाएं प्रभावित (क) क्षीण पहुंच (ख) कमजोर पकड़
(iii) बी एल ए (BLA)—दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं प्रभावित
(iv) ओ एल (OL)—एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (क) क्षीण पहुंच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गतिविभ्रम/एटैक्सिक
(v) ओ ए (OA)—एक भुजा प्रभावित (क) क्षीण पहुंच (ख) कमजोर पकड़ (ग) गतिविभ्रम/एटैक्सिक
(vi) बी एच (BH)—सख्त पीठ या कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)
(vii) एम डब्ल्यू (MW)—मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. नेत्रहीनता या कम (क्षीण) दृष्टि

- (i) बी (B)—नेत्रहीन
(ii) पी बी (PB)—आंशिक रूप से नेत्रहीन

* जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें।

ग. श्रवणबाधित

- (i) डी (D)—बधिर
(ii) पी डी (PD)—आंशिक रूप से बधिर
(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)


2. यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है। वर्ष महीने की अवधि के बाद इस मामले की पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा की गई है/अनुशंसा नहीं की गई है।

3. उनके/उनकी मामले में अक्षमता की प्रतिशतता प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने दायित्व के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करते/करती हैं :-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ (F)—अंगुलियों को व्यवस्थित करके किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (ii) पीपी (PP)—खींचकर तथा धकेलकर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (iii) एल (L)—उठा कर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (iv) केसी (KC)—घुटने के बल पर बैठकर या क्रेचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (v) बी (B)—झुककर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (vi) एस (S)—बैठकर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (vii) एसटी (ST)—खड़े रह कर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्ल्यू (W)—चल कर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (ix) एसई (SE)—देख कर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (x) एच (H)—सुनकर/बोल कर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्ल्यू (RW)—पढ़ कर या लिखकर किए जाने वाले कार्य | हाँ/नहीं |

(डॉ.)	(डॉ.)	(डॉ.)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड
		अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/सी०एम०ओ०/प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर सहित)



आवेदन प्रपत्र भरने के लिए कोड संख्या

आवेदन प्रपत्र के विभिन्न कालमों को भरने से सम्बद्ध कोड के स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :—

कालम 12 : नागरिकता स्थिति

कोड	विवरण
01	भारत का नागरिक
02	नेपाल की प्रजा
03	भूटान की प्रजा
04	भारत में स्थाई रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी।
05	भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जैरे और इथ्योपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

कालम 13 : अधिवास स्थिति

कोड	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र	कोड	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र
01	आंध्र प्रदेश	19	नागालैंड
02	अरुणाचल प्रदेश	20	उड़ीसा
03	असम	21	पंजाब
04	बिहार	22	राजस्थान
05	छत्तीसगढ़	23	सिक्किम
06	गोवा	24	तमिलनाडु
07	गुजरात	25	त्रिपुरा
08	हरियाणा	26	उत्तराखण्ड
09	हिमाचल प्रदेश	27	उत्तर प्रदेश
10	जम्मू और कश्मीर	28	पश्चिम बंगाल
11	झारखण्ड	29	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप संघ
12	कर्नाटक	30	चंडीगढ़
13	केरल	31	दादरा और नागर हवेली
14	मध्य प्रदेश	32	दमन और दीव
15	महाराष्ट्र	33	दिल्ली
16	मणिपुर	34	लक्षद्वीप
17	मेघालय	35	पुडुचेरी
18	मिजोरम		

टिप्पणी : उम्मीदवारों को सही कोड देने में अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। जब कभी एक या दो बाक्स जैसे उत्तर के लिए दिए गए हों, तो सावधानी रखनी चाहिए कि एक से अधिक अंक एक बाक्स में अंकित न किए जाएं। अगर कोड को दो या दो से अधिक अंकों से लिखा जाता है तो उतने ही बाक्स दिए जाते हैं। जब कभी किसी कोड में 01 अथवा 02 जैसा अंकन हो अर्थात् बायीं ओर 0 हो तो कोड का अंकन 0 के बिना नहीं करना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	1
--	---

गलत

0	1
---	---

सही

GUIDELINES

CODE NUMBERS FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

Codes to be given for filling up different columns in the application form are mentioned below :—

Column 12 : CITIZENSHIP

Code	Description
01	a citizen of India
02	a subject of Nepal
03	a subject of Bhutan
04	a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
05	a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire or Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Column 13 : STATE OF DOMICILE

Code	State or Union Territory	Code	State or Union Territory
01	Andhra Pradesh	19	Nagaland
02	Arunachal Pradesh	20	Orissa
03	Assam	21	Punjab
04	Bihar	22	Rajasthan
05	Chhattisgarh	23	Sikkim
06	Goa	24	Tamil Nadu
07	Gujarat	25	Tripura
08	Haryana	26	Uttarakhand
09	Himachal Pradesh	27	Uttar Pradesh
10	Jammu & Kashmir	28	West Bengal
11	Jharkhand	29	Andaman & Nicobar Islands
12	Karnataka	30	Chandigarh
13	Kerala	31	Dadra and Nagar Haveli
14	Madhya Pradesh	32	Daman & Diu
15	Maharashtra	33	Delhi
16	Manipur	34	Lakshadweep
17	Meghalaya	35	Puducherry
18	Mizoram		

NOTE : Candidate should be twice sure of giving the right code. Whenever one or more boxes like have been provided for the answer, care has to be exercised that not more than one numeral is entered in one box. If the code requires two or more digits then as many boxes have been provided. Further, whenever a code reads like 01 or 02 i.e. there is a 0 on the left, one should take care to enter the code with the 0. The code should not be entered without 0 as illustrated below :—

	1
--	---

Wrong

0	1
---	---

Right